न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा सं0 : 85 / 22

मांगीलाल पिता धीसा जी जाति धाकड निवारी खेडी तह0 बेगूं

– बनाम – .... वादी

1:– उदयलाल पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगू

2:– नवलराम पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगू

3:– रामचन्द्र पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगू

4:– नाथू पिता पेमा जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं

5:– विमलादेवी पत्नी भँवरलाल जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं

6:– सोनिया पिता भंवरलाल जी धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं

7:– हीना पिता भंवरलाल जी धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं हाल पत्नी अनिलकुमार धाकड निवासी नंदवाई तहसील बेगू

8:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 28–11–2024

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि मौजा खेडी प0ह0 खेडी तह0 बेगूं की वर्तमान खातौनी संवत 2078–73 खाता सं0 40 में निम्नलिखित आराजीयात अंकित है –

क.सं.	आराजी सं0	रकबा है0 में
1	110	0.1500
2	112	0.0600
3	113	0.1100
4	116	0.4200
5	264	0.0300
6	266	0.0300
7	267	0.0300
8	268	0.2300
9	269	0.0600
10	271मी.	0.2600
11	273	0.5400
12	276मी.	0.1400
13	277मी.	0.4900
14	278	0.0900
योग किता 14	कुल रकबा	2.6400

यह कि वादपत्र की में वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। वादी एवं प्रतिवादीगण सभी अपने अपने दर्ज हिस्सेनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर पृथक पृथक मौके पर काबिज हौ पृथक पृथक काश्त कर रहे है। दर्ज सह खातेदार लक्ष्मीबाई पत्नी उंकार का स्वर्गवास हौ जाने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पहले से पक्षकार है

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 19.10.2022 को प्रतिवादी सं० 1 से 7 को तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाड़ा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते बंटवाड़ा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि वादी उक्त वर्णित मोजा खेडी की आराजियात किता 14 कुल रकबा 2.6400 हैक्टर भूमि में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 को जरिये विभाजन मौके अच्छी पर अच्छी एवं बुरी से बुरी पृथक करा तंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार टवाड़ा किये जाने हेतु वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 19.10.2022 को प्रतिवादी सं० 1 से 7 द्वारा तहसील कार्यालय में चल कर खाता में दर्ज हिस्सानुसार जरिये विभाजन पृथक पृथक कराने की कार्यवाही किये जाने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है-

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मोजा खेडी पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूं की आराजियात आराजी संख्या 110, 112, 113, 116, 264, 266, 267, 268, 269, 271 मी0, 273, 276 मी0, 277 मी0, 278 योग किता 14 कुल रकबा 2. 6400 हैक्टर भूमि में का वादी का हिस्सा 1/3 अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तदोपरांत वादी की और से स्वयं वादी के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित वाद वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसका वादी विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मोजा खेडी पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूं की आराजियात आराजी संख्या 110, 112, 113, 116, 264, 266, 267, 268, 269, 271 मी0, 273, 276 मी0, 277 मी0, 278 योग किता 14 कुल रकबा 2.6400 हैक्टर भूमि में का वादी का हिस्सा 1/3 घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/- रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में पेश करे।

यह प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड) अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 85/22
मांगीलाल पिता घीसा जी जाति धाकड निवासी खेडी तह0 बेगूं

.... वादी

– बनाम –

1:– उदयलाल पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगू
2:– नवलराम पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगू
3:– रामचन्द्र पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगू
4:– नाथू पिता पेमा जी जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं
5:– विमलादेवी पत्नी भँवरलाल जाति धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं
6:– सोनिया पिता भंवरलाल जी धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं
7:– हीना पिता भंवरलाल जी धाकड निवासी खेडी तहसील बेगूं हाल पत्नी अनिलकुमार धाकड निवासी नंदवाई तहसील बेगू
8:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ

.......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी की ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53–88 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मोजा खेडी पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूं की आराजियात आराजी संख्या 110, 112, 113, 116, 264, 266, 267, 268, 269, 271 मी0, 273, 276 मी0, 277 मी0, 278 योग किता 14 कुल रकबा 2.6400 हैक्टर भूमि में का वादी का हिस्सा 1/3 घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में पेश करे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

Sd/-
(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

95
20.2.25